

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्यगण

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरण लेखा परीक्षण रिपोर्ट

मत

हमने कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कम्पनी) की एकल वित्तीय विवरण का लेखा परीक्षण किया है। इसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अन्य स्पष्टीकरण के सारांश सहित 31 मार्च 2019 तक के तुलनपत्रक (बैलेंस शीट), लाभ और हानि संबंधी विवरण, शेयर में परिवर्तन संबंधी विवरण और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष में नकदी प्रवाह विवरण तथा वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित सूचनाएं उपलब्ध कराता है तथा भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा परीक्षण सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 तक कम्पनी के मामलों की, इसकी हानि, शेयरों में परिवर्तन और समाप्त हुए वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह की स्थिति सहित वास्तविक और निष्पक्ष जानकारी देता है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 143 (दस) के तहत स्पष्ट लेखा परीक्षण मानकों (एसएएस) के अनुरूप लेखा परीक्षण कार्य पूरा किया। इन मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का हमारी रिपोर्ट में **वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण में लेखाकार के दायित्व** खंड में वर्णन किया गया है। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) से जारी नीति संहिता तथा अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार एकल वित्तीय विवरण के लेखा परीक्षण के लिए नीति संबंधी अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी कम्पनी एक स्वतंत्र कम्पनी है तथा हमने अपने अन्य नीतिगत दायित्वों को इन अपेक्षाओं और नीति संहिता के अनुरूप पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य हमारी राय का आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त और समुचित हैं।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट से अलग जानकारी

कम्पनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचनाओं में प्रबंधन रिपोर्ट में शामिल सूचनाएं आती हैं, लेकिन इसमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में हमारा दायित्व अन्य जानकारीयों को पढ़ना है और ऐसा करते समय यह ध्यान रखना है कि क्या अन्य सूचनाएं एकल वित्तीय विवरणों या लेखा परीक्षण के दौरान हमें प्राप्त जानकारी के साथ असंगत हैं या फिर यह कोई गलत बयानी है।

यदि हमारे कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य सूचनाओं के संदर्भ में गलत बयानी हुई है, तो हमें अपनी रिपोर्ट में इस तथ्य को दर्ज करना होता है। इस संदर्भ में रिपोर्ट करने लायक हमारे पास कुछ नहीं है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और प्रशासन प्रभारियों के दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के प्रति उत्तरदायी हैं। ये मामले कम्पनी की वित्तीय स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष जानकारी देने, उसके वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), अधिनियम के अनुच्छेद 133 के तहत कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम 2015 सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी के शेयरों और नकद प्रवाह में बदलाव से संबंधित हैं। इन दायित्वों में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड का प्रबंधन और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने और रोकथाम; समुचित लेखांकन नीतियों का चुनाव और लागू करना; तर्कसम्मत और ठोस निर्णय और आकलन; तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तय करना, उनका क्रियान्वयन और प्रबंधन भी शामिल है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और पूर्णता, वास्तविक और निष्पक्ष दृष्टिकोण तथा गलत बयानी से मुक्त, चाहे वह धोखाधड़ी के कारण हो या भूल के कारण, वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित है।

एकल वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल कम्पनी के जारी रहने की क्षमता के आकलन और जारी रखे जाने की क्षमता को स्पष्ट करने तथा लेखा परीक्षण के लिए इसे आधार बनाने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल कम्पनी को समाप्त करना या उसका संचालन बंद करना न चाहता हो या उसके पास ऐसा करने के सिवाए कोई अन्य विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के निरीक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के लिए लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उद्देश्य प्राप्त मत सहित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना और इस बात की ठोस आश्वस्ति पाना है कि एकल वित्तीय विवरण किसी भी प्रकार की गलत बयानी से मुक्त हो, चाहे यह किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण। तर्कसम्मत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन ये इस बात की गारंटी नहीं है कि मानक लेखा परीक्षण के अनुरूप किया गया लेखा परीक्षण हमेशा भौतिक गलत बयानी का पता लगा लेगा। इस प्रकार की गलत बयानी, धोखाधड़ी या किसी भूल के कारण हो सकती है। लेकिन, इन्हें असर डालने वाला तभी माना जाएगा, जब एकल या सामूहिक रूप से इनसे उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसलों पर असर पड़ने की आशंका हो।

मानक लेखांकन के अनुरूप लेखा परीक्षण में हमने पेशेगत निर्णय लिए हैं और पूरे परीक्षण के दौरान कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हमने ये कदम भी उठाए हैं :

- एकल वित्तीय विवरणों के असर डालने वाले गलत बयानों को पहचानने और उनके आकलन का प्रयास किया है। चाहे ये धोखाधड़ी के कारण हुए हों या भूल के कारण। इन जोखिमों से निपटने वाली लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय की है और उसे अपनाया है तथा हमारे मत का समुचित आधार उपलब्ध कराने वाले लेखा परीक्षण साक्ष्य हासिल किए हैं। धोखाधड़ी के कारण गलत बयानी का पता न चल पाने का जोखिम

भूल के कारण हुई गलत बयानी के जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी के पीछे साठगांठ, जालसाजी, जानबूझ कर की गई त्रुटि, गलत प्रस्तुति या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन कारण हो सकते हैं।

- परिस्थितियों के उपयोग से लेखा परीक्षण प्रक्रिया तय करने के उद्देश्य से लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की जानकारी हासिल करना। अधिनियम के अनुच्छेद 143(3)(i) के तहत हम यह स्पष्ट करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी के पास अपनी पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और यदि हां, तो इसकी संचालन प्रभावकारिता क्या है।
- प्रयुक्त लेखा परीक्षण नीतियों की उपयुक्तता के आकलन, और लेखा परीक्षण अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित स्पष्टीकरण के मूल्यांकन के लिए भी कदम उठाए गए हैं।
- लेखा परीक्षण के लिए प्रबंधन द्वारा आधारों के उपयोग की उपयुक्तता तथा प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों के आधार पर कम्पनी के जारी रहने की क्षमता पर संदेह खड़ा करने वाली अनिश्चितता के बारे में निष्कर्ष निकालना। यदि हम पाते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखा परीक्षक रिपोर्ट में वित्तीय विवरण के संबंधित अंश की ओर अथवा यदि ऐसे खुलासे हमारा मत बदलने में अपर्याप्त हैं, तो इस ओर भी ध्यान दिलाना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तक प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां कम्पनी को जारी रखे जाने से रोक सकती हैं।
- स्पष्टीकरण सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, रूपरेखा और विषयवस्तु का मूल्यांकन और इस बात का भी आकलन करना कि वित्तीय विवरण निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए लेनदेन और अन्य मामलों का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं।

हम लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा परीक्षण के दौरान सामने आई आंतरिक नियंत्रण संबंधी बड़ी खामी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के बारे में उन लोगों से सम्पर्क करते हैं, जिन्हें इस संबंध में प्रशासन का जिम्मा दिया गया था।

हम प्रशासन से संबंधित लोगों को एक विवरणी भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने संबंधित नीतिगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले अन्य संबंधों और मामलों तथा सुरक्षा उपायों से उन्हें अवगत करा दिया है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 11 के तहत जारी कम्पनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट आदेश, 2016 ("आदेश") की अपेक्षा अनुसार हमने आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में दर्शाए मामलों के बारे में लागू होने की सीमा तक, अनुलग्नक-1 में विवरणी दी है।
2. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुरूप हम कम्पनी के उस रिकॉर्ड के अनुसार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसे हमने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर अनुलग्नक-2 में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के आधार पर उचित पाया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा अनुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि -
 - क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार लेखा परीक्षण के लिए जरूरी थे।
 - ख) हमारे मत में कानून द्वारा अपेक्षित पर्याप्त लेखा परीक्षण पुस्तकें कम्पनी के पास हैं, जैसा कि इन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

- ग) रिपोर्ट में तुलनपत्रक, लाभ हानि विवरण, शेयर और नकदी प्रवाह में परिवर्तन विवरणी संबंधी मामले लेखा पुस्तकों में उपलब्ध कराए गए समाधान के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में उपर्युक्त एकल वित्तीय विवरणी अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों, कम्पनी लेखा नियम 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाए, के अनुपालन में हैं।
- ङ) एक सरकारी कम्पनी होने के नाते भारत सरकार की ओर से पांच जून 2015 को जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुरूप, निदेशक की अयोग्यता के बारे में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।
- च) कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावकारिता के संदर्भ में अनुलग्नक-ए में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
- छ) अधिनियम की धारा 197(16) की अपेक्षाओं के अनुरूप लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मुद्दों पर, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने लेखा परीक्षणधीन अवधि के दौरान अपने निर्देशकों को किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है, इसीलिए यह रिपोर्टिंग-अपेक्षा कि क्या भुगतान किया गया पारिश्रमिक का अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों से अधिक है, कम्पनी पर लागू नहीं होती।
- ज) कम्पनी लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली अन्य बातें हमारे मत में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इस प्रकार हैं-
- कम्पनी का कोई भी कानूनी मामला लम्बित नहीं है, जो इसकी वित्तीय स्थिति पर असर डाल सके।
 - कम्पनी के पास डेरिवेटिव्स और अनुबंध सहित लम्बी अवधि का कोई भी अनुबंध नहीं है, जिसके लिए किसी भौतिक हानि की आशंका हो।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी, जिसे कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षा कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

कृते

विजय मुकेश एंड कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 014554एन

सीए मुकेश जैन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 094199

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड के स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:-

1. कम्पनी के पास जारी पूंजीगत कार्य के सिवाए अन्य कोई स्थाई परिसम्पतियां नहीं हैं। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ-3 की धारा(i) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
2. कम्पनी के पास कोई इन्वेंटरी नहीं है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ii) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
3. कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत आने वाली कम्पनियों, फर्मों या अन्य पार्टियों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित नहीं दिया है।
4. हमारे मत में और हमें उपलब्ध कराई गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने अपने किसी निदेशक की ओर से, जैसा कि अधिनियम की धारा 185 के तहत उल्लिखित है, कोई ऋण गारंटी और सिक्योरिटी नहीं दी है। कम्पनी ने दिए गए ऋणों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर और हमें उपलब्ध कराई गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी राय में कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 के संबंधित प्रावधानों या धारा 73 से 76 के प्रावधानों और संबंधित नियमों के तहत आम लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।
6. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी की किसी भी गतिविधि के लिए केंद्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत रिकॉर्ड की रख-रखाव लागत निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (vi) लागू नहीं होता।
7. (क) कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, वस्तु और सेवा कर तथा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उपकर और उस पर लागू कोई अन्य सांविधिक बकाया समुचित प्राधिकरणों को नियमित रूप से जमा करती रही है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को भुगतान योग्य होने की तिथि से 6 माह से अधिक की अवधि का कोई अविवादित सांविधिक बकाया नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च, 2019 को बकाया आय कर, सेवा कर/वस्तु और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और मूल्य संवर्धित कर के मद में भुगतान योग्य कोई भी विवादित सांविधिक बकाया नहीं है।
8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने किसी वित्तीय संस्था या बैंक, या डिबेंचर धारकों से कोई ऋण नहीं लिया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (viii) कम्पनी पर लागू नहीं होती।

9. कम्पनी ने शुरुआती पब्लिक आफर या अगले पब्लिक आफर (ऋण सहित) और सावधि ऋण के जरिए धन नहीं जुटाया है। इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (ix) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
10. लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर लेखा परीक्षण वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कम्पनी के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा धोखाधड़ी का कोई मामला सामने नहीं आया या इसकी सूचना या रिपोर्ट नहीं मिली।
11. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने इस अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 197, अनुसूची v के साथ पढ़ा जाए, के अनुसार कोई प्रबंधन पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया है/मुहैया नहीं कराया है, इसलिए आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (ix) लागू नहीं होता।
12. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। इसलिए चूक के बारे में आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xii) कंपनी पर लागू नहीं होती।
13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अपने सामान्य कारोबारी क्रम में दर्ज किया है। इसीलिए अधिनियम की धारा 177 और 188 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते। हालांकि इस प्रकार के लेनदेन का ब्यौरा व्यवहार्य लेखांकन मानकों की अपेक्षा अनुसार वित्तीय विवरण में स्पष्ट किया गया है।
14. कम्पनी के रिकार्ड के अनुसार कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमानी आवंटन या शेयरों अथवा आंशिक या पूर्ण परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xiv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
15. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कम्पनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर कम्पनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई गैर-रोकड़ लेनदेन नहीं किया है। इसीलिए आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xv) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते।
16. कम्पनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1ए के अंतर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

कृते

विजय मुकेश एंड कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 014554एन

सीए मुकेश जैन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 094199

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

अनुलग्नक-II

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षक को जारी निर्देशों का प्रत्युत्तर

क्रम सं	विवरण	उत्तर
1	क्या कम्पनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के जरिए सभी लेनदेन की लेखांकन प्रक्रिया की उपयुक्त प्रणाली है? यदि हां, तो लेखे के साथ साथ वित्तीय पक्षों की प्रामाणिकता पर सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से अलग लेनदेन लेखांकन प्रक्रिया का प्रभाव, यदि कोई है, तो उल्लेख किया जा सकता है।	हां,
2	क्या कम्पनी द्वारा किसी ऋणदाता की बकाया राशि चुकाने में असमर्थता के कारण मौजूदा ऋण का पुनर्गठन किया गया है या छूट/माफी/ब्याज माफी दी गई है? यदि हां, तो इसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें।	ऋण माफी/छूट या ब्याज में माफी/छूट का कोई मामला नहीं है। इसीलिए यह खंड लागू नहीं होता।
3	क्या केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त या प्राप्त होने वाली निधि का, इसकी शर्तों और नियमों के अनुसार समुचित लेखांकन/ उपयोग किया गया? यदि नहीं, तो ऐसे मामलों का उल्लेख करें।	केंद्र/राज्य की एजेंसियों से विशेष योजनाओं के लिए कोई भी निधि प्राप्त नहीं की गई है/न प्राप्त की जाने वाली है। इसलिए ये खंड व्यवहार्य नहीं है।

कृते

विजय मुकेश एंड कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 014554एन

सीए मुकेश जैन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 094199

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड की स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट का अनुलग्नक-III

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कम्पनी) के सदस्यों को प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड ("कंपनी") के एकल वित्तीय विवरणों के साथ कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में प्रबंधन का दायित्व:

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में इंस्टिट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया ('आईसीएआई') द्वारा जारी 'गाइडेंस नोट' के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना और उन्हें बनाए रखने के प्रति जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में ऐसे समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तय करना, उनका कार्यान्वयन और रख-रखाव शामिल है, जो इसके व्यवसाय के सुचारू और सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जा सकें। इनमें कंपनी की नीतियों का अनुसरण, उसकी परिसम्पत्तियों का संरक्षण, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय जानकारी समय पर तैयार करना भी शामिल है।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में राय जाहिर करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के बारे में जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों' की लेखा परीक्षा के लिए व्यवहार्य सीमा तक निर्धारित समझे गए, 'परामर्श टिप्पणी' ("गाइडेंस नोट") और लेखांकन मानकों के अनुसार की है। ये दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू होते हैं और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी किए गए हैं। ये मानक और गाइडेंस नोट यह अपेक्षा करते हैं कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और लेखा परीक्षण योजना इस तरह बनाएं और इस तरह लेखापरिीक्षण करें जिससे इस बात का युक्तिसंगत आश्वासन मिले कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण कायम किए गए और बनाए रखे गए तथा सभी महत्वपूर्ण मामलों में संचालित किए गए। हमारी लेखा-परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और उसकी प्रचालनगत सक्षमता के बारे में लेखापरिीक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की हमारी लेखा परीक्षा के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी खामी के जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के

आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा और उसकी प्रचालनगत क्षमता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित होती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों के बारे में गलत बयानी, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हुई हो, के जोखिम का आकलन शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमें जो लेखा परीक्षा संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ:

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एक ऐसी प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने और आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए तय की जाती है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो (1) ऐसे रिकॉर्ड रखने से संबंधित हों, जो कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और उनकी स्थिति को युक्तिसंगत, सही-सही और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हों; (2) इस आशय का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि उनके लेनदेन का रिकॉर्ड आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप से रखा गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय कम्पनी प्रबंधन तथा निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कम्पनी की परिसंपत्तियों के ऐसे अनधिकृत अर्जन, इस्तेमाल या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त किया जा सके, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला हो।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

आंतरिक नियंत्रणों के विफल होने या अनुचित प्रबंधन और उल्लंघन होने की आशंका सहित, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं होती हैं, जिनसे त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण ऐसी महत्वपूर्ण गलत बयानी हो सकती है, जिसका पता न चल पाए। इसके अतिरिक्त भावी अवधियों से संबंधित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के निष्कर्ष इस जोखिम के अधीन होते हैं कि स्थितियों में परिवर्तन, अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकते हैं।

हमारी राय:

हमारी राय में कम्पनी ने, सभी महत्वपूर्ण विषयों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखे हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2017 तक कारगर ढंग से लागू थे, जो इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के बारे में जारी गाइडेंस नोट में वर्णित थे।

कृते

विजय मुकेश एंड कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 014554एन

सीए मुकेश जैन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 094199

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने 31 मार्च 2019 को समाप्त हुई अवधि के लिए कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड के वार्षिक लेखे का लेखा परीक्षण, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उपनिर्देशों के अनुरूप किया है। प्रमाणित किया जाता है कि हमने सभी निर्देशों/उप-निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते

विजय मुकेश एंड कम्पनी

सनदी लेखाकार

फर्म पंजीकरण संख्या 014554एन

सीए मुकेश जैन

(साझेदार)

सदस्यता संख्या 094199

स्थान - नई दिल्ली

दिनांक -

31 मार्च 2019 को तुलनपत्रक					
					(₹ सौ में)
विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को	
(I) परिसम्पत्तियां					
(1) गैर चालू परिसम्पत्तियां					
(क) जारी पूंजीगत कार्य	4	1,064,182.43	970,540.74	883,472.54	
(b) वित्तीय परिसम्पत्तियां					
(i) ऋण	5	3,392,498.77	3,421,356.14	3,451,636.41	
(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	6	2,503,899.65	2,294,150.65	2,114,441.70	
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियां		6,960,580.85	6,686,047.53	6,449,550.65	
(2) चालू परिसम्पत्तियां					
(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां					
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	7	426.02	381.26	174.65	
(ख) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	8	8,061.33	5,945.03	228.35	
कुल चालू परिसम्पत्तियां		8,487.35	6,326.29	403.00	
कुल परिसम्पत्तियां		6,969,068.20	6,692,373.82	6,449,953.65	
(II) इक्विटी और देयताएं					
(1) इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	9	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
(ख) अन्य इक्विटी	10	441.17	441.17	434.37	
कुल इक्विटी		5,441.17	5,441.17	5,434.37	
(2) देयताएं					
(A) गैर मौजूदा देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) उधारी	11	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	12	2,934,532.98	2,660,933.97	2,416,872.54	
कुल चालू देयताएं		6,934,532.98	6,660,933.97	6,416,872.54	
(B) मौजूदा देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएं					
(i) अन्य वित्तीय देयताएं	13	675.00	675.00	656.25	
(ख) अन्य मौजूदा देयताएं	14	28,419.05	25,321.30	26,990.49	
(ग) प्रावधान	15				

			-	2.38	-
	कुल मौजूदा देयताएं		29,094.05	25,998.68	27,646.74
	कुल इक्विटी और देयताएं		6,969,068.20	6,692,373.82	6,449,953.65
			(0.00)	0.00	(0.00)
	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1-3			
	साथ लगी टिप्पणियां इन वित्तीय विवरणों का एकीकृत भाग हैं	1 to 39			
	कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से				
	पीसी हेम्ब्रम	आलोक सूद	जीएस पात्रा		
	निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष		
	DIN:02750881	DIN:02394376	DIN:05103633		
	इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार				
	कृते				
	विजय मुकेश एंड कम्पनी				
	(सनदी लेखाकार)				
	कम्पनी पंजीकरण सं : 014554N				
	(सुनील जैन)				
	साझेदार				
	सदस्यता सं : 094673				
	स्थान : नई दिल्ली				
	दिनांक :				

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड
(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)
31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण

(₹ सौ में)

विवरण	टिप्पणी सं	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
परिचालन आय			
अन्य आय	16	-	9.18
कूल आय (I)		-	9.18
व्यय			
अन्य व्यय		-	-
कुल व्यय (II)		-	-
कर पूर्व लाभ (I- II =III)		-	9.18
कर व्यय : (IV)			
चालू कर	18	-	2.38
बकाया कर		-	-
शुद्ध लाभ कर (III - IV = V) के बाद		-	6.80
अन्य व्यापक आय (VI)			
अवधि (V + VI =VII) के लिए कुल व्यापक आय		-	6.80
प्रति इक्विटी शेयर आय : (VIII)			
रुपये (प्रत्येक 10 ₹. मूल्य पर) प्राथमिक और तनुकृत)	19	-	0.00

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां 1-3
वित्तीय विवरणों के साथ लगी टिप्पणियां देखें 1 to 39

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

पी सी हेम्ब्रम
निदेशक

DIN:02750881

आलोक सूद
निदेशक

DIN:02394376

जी एस पात्रा
अध्यक्ष

DIN:05103633

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते

विजय मुकेश एंड कम्पनी

(सनदी लेखाकार)

कम्पनी पंजीकरण सं : 014554N

(सनील जैन)

साझेदार

सदस्यता सं .: 094673

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

(₹ सौ में)

	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष
A	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह:		
	कर पूर्व शुद्ध लाभ	-	9.18
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	-	9.18
	कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन		
	- अन्य चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	-	18.75
	- अन्य गैर मौजूदा वित्तीय देयताओं में बढ़ोतरी/(कमी)	273,599.01	244,061.43
	- अन्य मौजूदा देयताओं में वृद्धि/(कमी)	3,097.75	(1,669.20)
	- अन्य मौजूदा परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)	(2,116.30)	(5,716.68)
	- अन्य गैर मौजूदा ऋण में वृद्धि/(कमी)	28,857.37	30,280.27
	- अन्य गैर मौजूदा वित्तीय परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)	(209,749.00)	(179,708.95)
	परिचालन गतिविधियों से सृजित नकदी	93,688.83	87,274.80
	भुगतान किया गया आय कर	(2.38)	-
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी	93,686.45	87,274.80
B.	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
	जारी पूंजीगत कार्य में वृद्धि	(93,641.69)	(87,068.20)
	निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(93,641.69)	(87,068.20)
C.	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह		
	उधारी से आमदनी	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी	-	-
	नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध (कमी)	44.76	206.61
	आरंभिक नकदी और नकदी समतुल्य	381.26	174.65

समापन नकदी और नकदी समतुल्य	426.02	381.26
शामिल हैं :		
चालू खाते में बैंक शेष	426.02	381.26

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

पीसी हेम्ब्रम
निदेशक

DIN:02750881

आलोक सूद
निदेशक

DIN:02394376

जीएस पात्रा
अध्यक्ष

DIN:05103633

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते तथा ओर से

विजय मुकेश एंड कम्पनी

(सनदी लेखकार)

कम्पनी पंजीकरण सं 014554एन

(सुनील जैन)

साझेदार

सदस्यता सं 094673

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ सौ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	5,000.00
31 मार्च 2018 को अधिशेष वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	5,000.00
	-
31 मार्च 2019 को अधिशेष	5,000.00

ख. अन्य इक्विटी

(₹ सौ में)

विवरण	राशि
<u>प्रतिधारित आय</u>	
01 अप्रैल 2017 को अधिशेष	434.37
वर्ष (वित्त वर्ष 2017-18) के लिए कुल व्यापक आय	6.80
31 मार्च 2018 को अधिशेष	441.17
वर्ष (वित्त वर्ष 2018-19) के लिए कुल व्यापक आय	-
31 मार्च 2019 को अधिशेष	441.17

कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से

पी सी हेम्ब्रम

निदेशक

DIN:02750881

आलोक सूद

निदेशक

DIN:02394376

अध्यक्ष

जीएस पात्रा

DIN:05103633

इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते तथा ओर से

विजय मुकेश एंड कम्पमी

(सनदी लेखाकार)

(कम्पनी पंजीकरण संख्या !A48

(सुनील जैन)

साझेदार

सदस्यता संख्या 094673

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक :

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड							
(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)							
31मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों से संबंधित नोट							
1	कापरिट जानकारी						
	<p>कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (कम्पनी) की शुरुआत कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत पीएफसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी कम्पनी के रूप में पहली मार्च 2006 को हुई थी। इसे व्यापार शुरू करने का प्रमाणपत्र 29 सितम्बर 2006 को जारी किया गया। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय पहली मंजिल, ऊर्जा निधि, 1, बाराखम्बा लेन, कनाटप्लेस, नई दिल्ली 110001 में स्थित है। यह कम्पनी महाराष्ट्र में 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक कार्यों, जैसे पर्यावरण, वन इत्यादि सहित वैधानिक मंजूरी में सुविधा के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (स्पेशल पर्पज व्हीकल) है। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 5 मार्च 2019 के पत्र के जरिए पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड के तहत अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का विस्तार मुनगे, ताल, देवगढ़, महाराष्ट्र में नहीं करने का फैसला लिया। बिजली मंत्रालय ने यह पत्र कम्पनी को कार्यालय जापन दिनांक 27 मार्च, 2019 के जरिए आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित कर दिया।</p>						
2	सामान्या						
(क)	अनुपालन की तैयारी और विवरण का आधार						
	<p>ये वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत और लेखांकन के प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं और कम्पनी भारतीय लेखांकन मानक नियम 2015 और कम्पनी अधिनियम 2013 के व्यवहार्य प्रावधानों के तहत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) के अनुपालन में हैं। ये कम्पनी के पहले इंड एस वित्तीय विवरण हैं। इंड एस में अवस्थानांतरण की तिथि 1 अप्रैल 2017 है।</p>						
	<p>कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक के लिए अपने वित्तीय विवरण पूर्व में व्यवहार्य जीएपी की जरूरतों के अनुपालन में तैयार किए हैं, जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के तहत, कम्पनी लेखा नियम 2013 के साथ पठित, निर्दिष्ट लेखांकन मानक को शामिल किया गया है।</p>						
	<p>विवरण में प्रस्तुत पूर्व अवधि के आंकड़े समान लेखांकन सिद्धांतों के आधार पर दिए गए हैं, जो कम्पनी की पहली इंड एस वित्तीयविवरण की तैयारी में प्रयुक्त किए गए थे।</p>						
	<p>कम्पनी का वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किया गया है, जो इसकी क्रियाशील मुद्रा है।</p>						
	<p>कम्पनी द्वारा प्राप्त पहली बार अपना पर छूट का ब्यौरा नोट संख्या 38 में दिया गया है।</p>						
	<p>इन वित्तीय विवरणों में राशि सैकड़ों की निकटतम संख्या में दी गई है (जब तक कि इससे अलग निर्देश न हो)</p>						
(ख)	अनुमानों का प्रयोग						

	<p>वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए आय, व्यय, परिसम्पत्ति और देनदारी तथा वित्तीय विवरण की तारीख पर अन्य देनदारियों से संबंधित स्पष्टीकरण को प्रभावित करने वाले, आकलन और अनुमानों के प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वास्तविक परिणाम आकलन से अलग हो सकते हैं। आकलनों और अनुमानों की समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। जिस अवधि में आकलनों में संशोधन होता है और आगे की किसी अवधि में असर पड़ने की संभावना होती है, तो लेखांकन आकलन में संशोधन किया जाता है।</p>						
3	महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां						
(क)	आय/व्यय की मान्यता						
	आय और व्यय (केवल नीचे दिए गए संदर्भों को छोड़ कर) का लेखांकन प्रोदभूत आधार पर किया गया है।						
	अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए पीएफसी/पीएफसीसीएल को भुगतान योग्य परामर्श और प्रोफेशनल सेवाओं की फीस कम्पनी के सफल नीलामीकर्ता को स्थानांतरण के वर्ष में मान्य है।						
(ख)	उधारी लागत						
	अधिग्रहण, अचल परिसम्पतियों के निर्माण को, जो अपने निर्धारित उपयोग के लिए तैयार होने में काफी समय लेती हैं, इन परिसम्पतियों की लागत के रूप में रखा जाता है, उस सीमा तक जब तक ये उपयोग में आने के लिए तैयार नहीं हो जातीं। अन्य उधारी लागत उस वर्ष के हानि लाभ विवरण में डाली जाती हैं, जिनमें वे ली गई हैं।						
(ग)	जारी पूंजीगत कार्य						
	भूमि अधिग्रहण/सर्वेक्षण/अध्ययन/जांच/परामर्श/प्रशासनिक/क्षति/ब्याज आदि पर होने वाला व्यय तथा निर्माण अवधि के दौरान अन्य व्यय जारी पूंजीगत कार्य में आते हैं।						
(घ)	अवधि पूर्व व्यय						
	महत्वपूर्ण अवधि पूर्व त्रुटियों को त्रुटि होने वाली अवधि में दी गई तुलनात्मक राशि को उसी अवधि से जोड़ कर संशोधित किया जाता है। यदि यह त्रुटि प्रस्तुत की गई सर्वाधिक पूर्व अवधि से भी पहले की है, तो परिसम्पतियों का आरंभिक शेष, देनदारियां और प्रस्तुत की गई सबसे पहले की अवधि के लिए देनदारियां और इक्विटी फिर से बहाल कर ली जाती हैं।						
(ड)	नकदी और नकदी समतुल्य						
	नकदी में उपलब्ध राशि और जमा राशि शामिल है। कम्पनी लघु अवधि के सभी अधिशेष (अधिग्रहण से तीन महीने या कम की परिपक्वता अवधि के), अत्यधिक तरलता वाले निवेश, जो नकद राशि में तुरंत बदलने योग्य हों और जिनके लिए मूल्य में परिवर्तन का जोखिम महत्वहीन हो, को नकदी तुल्य मानती है।						
(च)	नकदी प्रवाह विवरण						

	नकदी प्रवाह विवरण अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है, जिसमें कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) गैर नकदी प्रवृत्ति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या वर्तमान की नकद प्राप्ति या भुगतान के संग्रहण या आस्थगित अदायगी के लिए समायोजित किया जाता है। कम्पनी के संचालन, निवेश और वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह अलग कर दिया जाता है।						
(छ)	कराधान						
	आयकर व्यय में मौजूदा और आस्थगित कर भुगतान आता है। इसे लाभ और हानि विवरण में दर्शाया जाता है। केवल उस स्थिति को छोड़ कर, जब यह किसी ऐसी वस्तु से जुड़ा हो, जिसे इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दिखाया गया हो। इस स्थिति में कर भी इक्विटी में सीधे या अन्य नकदी प्रवाह में दर्शाया जाएगा।						
	मौजूदा कर उस वर्ष के लिए करयोग्य आय पर अनुमानित कर भुगतान है, जिस पर तथा पिछले वर्ष के भुगतान योग्य कर के किसी समायोजन पर रिपोर्टिंग तिथि पर व्यवहार्य कर दरें या मूल रूप से लागू कर दरें प्रभावी होती हैं।						
	आस्थगित कर भुगतान का निर्धारण वित्तीय विवरण में परिसम्पत्तियों और देनदारियों की राशि तथा कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संबंधित कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर पर किया जाता है। आस्थगित कर भुगतान की गणना रिपोर्टिंग तिथि पर लागू कानूनों या मूल रूप से लागू कानून पर आधारित कर दरों से की जाती है। आस्थगित भुगतान कर परिसम्पत्तियां और देनदारियां समायोजन योग्य हैं, यदि मौजूदा कर देनदारियां और परिसम्पत्तियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से बाध्यकारी अधिकार हो और वे उसी कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हों।						
	घटाने योग्य सभी अस्थाई अंतर के लिए आस्थगित कर भुगतान उस सीमा तक प्रभावी माना जाएगा, जहां तक कर योग्य लाभ प्राप्त होने की संभावना हो, जिसके लिए इस अंतर का उपयोग किया जा सके। आस्थगित कर भुगतान परिसम्पत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है, जिससे संबंधित कर लाभ का अनुमान न रहे।						
	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्थगित कर भुगतान परिसम्पत्तियों की राशि की समीक्षा की जाती है और इसे उस सीमा तक कम किया जाता है कि इस बात की संभावना न रहे कि परिसम्पत्तियों की रिकवरी के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।						
(h)	प्रावधान, आपात देयताएं और आपात परिसम्पत्तियां						
i.	यदि कम्पनी की मौजूदा देनदारी (कानूनी या तर्कसंगत) किसी पिछले कारण से हो, और इस बात की संभावना हो कि कम्पनी को इस देनदारी का समाधान करना होगा और देनदारी की राशि का विश्वसनीय आकलन करना होगा, तो संबंधित प्रावधान लागू होंगे। प्रावधान के रूप में तय की गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में तमाम जोखिम और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए मौजूदा देनदारी के समाधान पर विचार के लिए सर्वोत्तम आकलन होगी। यदि किसी प्रावधान के समायोजन के लिए आवश्यक सभी या कुछ आर्थिक लाभ किसी तीसरी पार्टी से रिकवर किए जाने की आशा हो, तो प्राप्ति परिसम्पत्ति मानी जाएगी, यदि यह निश्चित हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी और इससे संबंधित राशि का आकलन विश्वसनीय तरीके से किया जाएगा।						
ii.	जहां इस बात की संभावना न हो, कि आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी या राशि का आकलन विश्वसनीय तरीके से नहीं हो सकेगा, वहां देयता लेखा टिप्पणियों में आकस्मिक देयता के रूप में व्यक्त की जाएगी, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की संभावना न के बराबर नहीं हो जाए।						
iii.	आपात परिसम्पत्तियां वित्तीय विवरणों में नहीं दी गई हैं, लेकिन जहां आर्थिक लाभ अंतरप्रवाह संभव हो, वहां इन्हें व्यक्त किया गया है।						
iv.	प्रत्येक तुलनपत्रक तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और मौजूदा प्रबंधन आकलन के लिए इनका समायोजन किया जाता है।						
(i)	वित्तीय उपाय						

	<p>वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों की गणना तब होती है, जब कम्पनी वित्तीय प्रबंधों के अनुबंध प्रावधानों का एक पक्ष हो। आरंभ में वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की गणना इनके अधिग्रहण या इन्हें जारी करने से संबंधित समुचित मूल्य से लेनदेन लागत के जोड़/घटाव के अनुरूप की जाती है। यदि वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों को लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य से आंका जाता है, तो इसे लाभ और हानि विवरण में लेनदेन की लागत माना जाएगा।</p>						
I. 1	वित्तीय परिसम्पत्तियां						
	वित्तीय परिसम्पत्तियों की सभी नियमित खरीद या बिक्री समायोजन तिथि के आधार पर मान्य या अमान्य होती है।						
	वित्तीय परिसम्पत्तियों के वर्गीकरण के आधार पर इन परिसम्पत्तियों का आकलन उनकी परिशोधन लागत या उचित मूल्य के आधार पर किया जाएगा।						
i)	वित्तीय परिसम्पत्तियों का वर्गीकरण और मापन (इक्विटी उपायों से अलग)						
	<p>क) परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसम्पत्तियां : निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसम्पत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर विधि (ईआईआर) से परिशोधन लागत पर किया जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> परिसम्पत्ति किसी ऐसे कारोबारी मॉडल के तहत हो, जिसका उद्देश्य अनुबंध के आधार पर नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए परिसम्पत्तियां रखना हो; और परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकद प्रवाह बढ़ाती हों, जो नकद प्रवाह केवल बकाया मूल राशि पर मूल राशि तथा ब्याज (एसपीपी) भुगतान से आता हो। 						
	<p>ख) अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीयपरि सम्पत्तियां (एफवीटीओसीआई) वित्तीय परिसम्पत्तियों का एवीटीओसीआई पर मापन तभी होता है, जब निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं. :</p> <ul style="list-style-type: none"> व्यापार मॉडल का लक्ष्य अनुबंधगत नकदी प्रवाह और वित्तीय परिसम्पत्तियों की बिक्री से प्राप्त किया जाता हो; और परिसम्पत्ति की अनुबंधगत शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह बढ़ाती हों, जो मूल रूप से बकाया मूल राशि पर मूल राशि और ब्याज (एसपीपीआई) के भुगतान से आता हो। 						
	<p>ग) लाभ या हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसम्पत्तियां वित्तीय परिसम्पत्ति का मापन एफवीटीपीएल पर तभी होता है, जब इसे लाभ और हानि विवरण में मान्य उचित मूल्य में समस्त बदलावों केसाथ परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर मापा जाए।</p>						
ii)	वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति						
	<p>क) कम्पनी परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसम्पत्तियों पर अनुमानित जमा हानि (ईसीएल) का निर्धारण करती है। ऐसी वित्तीय परिसम्पत्तियों पर ईसीएल, ऋण परिसम्पत्तियों के अलावा कुल अवधि के दौरान, अनुमानित हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है। ईसीएल के मापन के लिए अनिवार्यताएं समान रूप से ऋण (एफवीटीओसीआई) परिसम्पत्ति पर लागू होती हैं, केवल उस स्थिति को छोड़ कर जब ईसीएल अन्य व्यापक आय में न जोड़ी जाए और तुलनपत्रक में शेष राशि से न घटाई जाए।</p>						
	<p>ख) ऋण परिसम्पत्तियों की क्षति और लेटर ऑफ कम्फर्ट (एलओसी) के तहत प्रतिबद्धताएं : यदि क्रेडिट क्षति हुई हो या आरंभिक अनुमान की तुलना में जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है, तो कम्पनी ऋण परिसम्पत्तियों पर ईसीएल का मापन लाइफ टाइम ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। यदि आरंभिक अनुमान की तुलना में कोई एसआईसीआर नहीं है, तो कम्पनी ईसीएल का मापन 12 महीने के ईसीएल के बराबर राशि पर करती है। आरंभिक आकलन के बाद से एसआईसीआर रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए कम्पनी तर्कसंगत और सहयोगी सूचनाओं पर विचार करती है जो बिना किसी लागत या प्रयास के उपलब्ध हैं। यदि कम्पनी हानि का मापन पूर्व अवधि में लाइफटाइम ईसीएल के रूप में करती है, लेकिन बाद की अवधि में क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार के कारण निश्चित करती है कि आरंभिक अनुमान से कोई एसआईसीआर नहीं रहा है, तो कम्पनी फिर से 12 महीने के ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते का मापन करती है। क्रेडिट क्षति वाली ऋण परिसम्पत्तियों के लिए ईसीएल का मापन व्यक्तिगत आधार पर होता है और अन्य ऋण परिसम्पत्तियों के लिए यह आमतौर पर सामूहिक आधार किया जाता है।</p>						

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अंश तय करने वाली टिप्पणियां

4. जारी पूंजीगत कार्य

(₹ in Hundreds)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	31 मार्च 2017 को
जारी आरंभिक पूंजीगत कार्य	970,540.74	883,472.54	883,472.54
जोड़ : निर्माण अवधि (नोट 17 देखें) के दौरान व्यय से स्थानांतरित	93,641.69	87,068.20	-
	1,064,182.43	970,540.74	883,472.54

5. ऋण (गैर-मौजूदा)

(₹ in Hundreds)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
असुरक्षित, माना गया अच्छा ऋण (परिशोधित लागत पर)			
संबंधित पक्षों को ऋण (पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड)	3,392,498.77	3,421,356.14	3,451,636.41
	3,392,498.77	3,421,356.14	3,451,636.41

6. अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां (गैर मौजूदा)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
परिशोधित लागत पर			
प्रोदभूत ब्याज लेकिन संबंधित पक्षों से देय नहीं (पावर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड)	2,503,899.65	2,294,150.65	2,114,441.70
	2,503,899.65	2,294,150.65	2,114,441.70

7. नकदी और नकदी समतुल्य

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
बैंक शेष : चालू खाते में	426.02	381.26	174.65
	426.02	381.26	174.65

8. अन्य चालू परिसम्पत्तियां

0

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
<u>असुरक्षित अच्छा माना गया</u>			
प्राप्ति योग्य टीडीएस	8,061.33	5,945.03	228.35
	8,061.33	5,945.03	228.35

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड						
(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)						
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अंश तय करने वाली टिप्पणियां						
9 इक्विटी शेयर पूंजी						
				(₹ सौ में)		
विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को			
अधिकृत शेयर पूंजी						
50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000)	5,000.0 0	5,000.00	5,000.00			
जारी, अभिदत्त और भुगतान की गई पूंजी में शामिल :						
50,000 इक्विटी शेयर, प्रत्येक 10 रुपये का (31 मार्च, 2018 को : 50,000; पहली अप्रैल, 2017 : 50,000) पूरी तरह भुगतान किया गया	5,000.0 0	5,000.00	5,000.00			
	5,000.0 0	5,000.00	5,000.00			
(i) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का मिलान :				(₹ सौ में)		
विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को			
	धारित शेयरों की संख्या	राशि	धारित शेयरों की संख्या	राशि		
वर्ष के आरंभ में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00		
वर्ष के दौरान जारी शेयर						

	-	-	-	-		
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	50,000	5,000.00	50,000	5,000.00		
(ii) इन्विटी शेयरों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और पाबंदियां						
<p>कम्पनी के पास 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के इन्विटी शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक प्रति शेयर एक वोट के लिए पात्र है। निर्देशक मंडल से प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर आधारित है, केवल अंतरिम लाभांश के मामले को छोड़ कर। तरलता यानी नकदी प्रवाह बढ़ने की स्थिति में शेयर होल्डर सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद अपनी शेयरधारिता के अनुपात में कम्पनी की शेष परिसम्पतियां प्राप्त करने के पात्र होंगे।</p>						
(iii) होल्डिंग कम्पनी के पास इन्विटी शेयरों का विवरण						
विवरण	शेयरों की संख्या	राशि				
31 मार्च 2019 को						
पाँवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	50,000	5,000.00				
31 मार्च 2018 को						
पाँवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	50,000	5,000.00				
01 अप्रैल 2017 को						
पाँवर फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड	50,000	5,000.00				
(iv) कम्पनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास के शेयरों का विवरण:						
विवरण	31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		01 अप्रैल 2017 को	

	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%	धारित शेयरों की संख्या	%
पूरी तरह भुगतान किए गए इक्विटी शेयर						
होल्डिंग कम्पनी, पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड*	50,000	100%	50,000	100%	50,000	100%
* इक्विटी शेयर पॉवर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड और इसके नामितियों के पास हैं						

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड

(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अंश तय करने वाली टिप्पणियां

10. अन्य इक्विटी

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
प्रतिधारित आय			
वर्ष के प्रारंभ में शेष	441.17	441.17	434.37
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	6.80
	441.17	441.17	441.17

11. उधारी (गैर मौजूदा)

(₹ सौ में)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
प्रतिशोधित लागत पर			
अग्रिम प्रतिबद्धता (असुरक्षित)	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

उधारी चुकाने की शर्तें : सफल नीलामीकर्ता को कम्पनी के हस्तांतरण की तिथि से 15 दिन के भीतर भुगतान योग्य

12. अन्य वित्तिय देयताएं (गैर-मौजूदा)

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
प्रौढभूत ब्याज,लेकिन उधारी पर देय नहीं	2,773,249.72	2,518,040.86	2,416,872.54
प्रौढभूत ब्याज लेकिन उधारी पर देय नहीं (संबंधित पार्टी)	161,283.26	142,893.11	-

	2,934,532.98	2,660,933.97	2,416,872.54

13. अन्य वित्तीय देयताएं (मौजूदा)

रु सौ में

विवरण	31 मार्च 2019 को	As at March 31, 2018	01 अप्रैल 2017 को
मौजूदा - प्रतिशोधित लागत पर भुगतान योग्य व्यय	675.00	675.00	656.25
	675.00	675.00	656.25

14. अन्य मौजूदा देयताएं (मौजूदा)

रु सौ में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
वैधानिक बकाया	28,419.05	25,321.30	26,990.49
	28,419.05	25,321.30	26,990.49

15. मौजूदा कर देयताएं (निवल)

रु सौ में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
आयकर के लिए प्रावधान	-	2.38	-
	-	2.38	-

16. अन्य आय

रु सौ में

विवरण	31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को
आयकर रिफंड पर ब्याज	-	9.18

	-	9.18
--	---	------

17. निर्माण अवधि के दौरान व्यय

रु सौ में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखांकन शुल्क	737.50	737.50
प्रिंटिंग और स्टेशनरी	14.33	33.52
दौरा और यात्रा व्यय	92.46	216.26
कार्यालयी आतिथ्य	138.07	70.34
डेबिट नोट पर टैक्स	-	297.92
टेलिफोन व्यय	0.94	0.39
कानूनी, प्रोफेशनल और परामर्शी शुल्क	2,176.32	1,502.34
प्रशासकीय व्यय	394.19	520.51
उप जोड़ा (ए)	3,553.81	3,378.78
<u>ब्याज व्यय</u>		
प्रयुक्त	90,087.98	83,689.42
अप्रयुक्त	211,867.58	185,630.81
घटा : अप्रयुक्त भाग पर पीएफसी से प्राप्त योग्य ब्याज	(211,867.68)	(185,630.81)
उप जोड़ा (बी)	90,087.88	83,689.42
नोट 4 में स्थानांतरित कुल अन्य व्यय	93,641.69	87,068.20

18. आयकर

रु सौ में

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
मौजूदा कर मौजूदा वर्ष के संदर्भ में	-	-

आस्थगित कर मौजूदा वर्ष के संदर्भ में	-	2.38 -
मौजूदा वर्ष में दर्शाया गया कुल आय कर व्यय	-	2.38
वर्ष के लिए आय कर व्यय को निम्नानुसार लेखा लाभ में मिलान किया जा सकता है :		
कर पूर्व लाभ	-	9.18
व्यवहार्य कर दर	26.00%	29.73%
संगणित कर व्यय	-	2.73
लाभ और हानि में दर्शाया गया आय कर व्यय	-	2.73

19. प्रति शेयर आय

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रति शेयर प्राथमिक और तनुकृत आय		
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य	10	10
इक्विटी शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभ हानि विवरण के अनुसार शुद्ध लाभ/(हानि)	-	6.80
प्राथमिक ईपीएस की गणना के लिए डिनोमिनेटिड गणना के लिए इस्तेमाल इक्विटी शेयरों का औसत संख्या मूल्य	50,000	50,000
प्राथमिक और तनुकृत आय प्रति शेयर	-	0.00
कम्पनी द्वारा जारी कोई तनुकृत उपाय नहीं हैं।		

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड							
(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई1469 53)							
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियां							
20. वित्तीय उपाय							
(1) पूंजी प्रबंधन							
<p>कम्पनी अपना पूंजी प्रबंधन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करती है कि वह महाराष्ट्र परियोजना के तहत 4000 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण, वन इत्यादि सहित अन्य प्रारंभिक कार्यों की वैधानिक मंजूरी से संबंधित व्यय के लिए पूंजीगत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। कम्पनी अपनी होल्डिंग कम्पनी पावर कार्पोरेशन से उधार ली गई राशि और अग्रिम प्रतिबद्धता के रूप में प्राप्त राशि और पावर प्रोक्योरिंग यूटिलिटीज़ (खरीदार) भूमि के लिए अग्रिम के रूप में प्राप्त 40.00 करोड़ रुपये से परिचालन संबंधी व्यय पूरा करती है। कम्पनी के पूंजीगत ढांचे में शुद्ध ऋण (उधारी) जैसा कि टिप्पणी ----- में विवरण दिया गया है, नकदी और बैंक अधिशेष द्वारा) और कम्पनी की कुल इक्विटी शामिल है।</p>							
कम्पनी बाहर से आरोपित पूंजी आवश्यकता के लिए पात्र नहीं है							
कम्पनी बोर्ड आवश्यकता के आधार पर पूंजी प्रबंधन की समीक्षा करता है। पूंजी की जरूरतें उधारी और अग्रिम ऋण के जरिए पूरी की जाती हैं। कोष संबंधी जरूरतों की पूर्ति के लिए कम्पनी की नीति लघु अवधि और दीर्घावधि ऋण के उपयोग की है।							
(i) वित्तीय उपायों की श्रेणियां							
विवरण				31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को	
<u>परिशोधित लागत पर दर्ज</u>							
वित्तीय परिसम्पतियां							
नकदी और बैंक अधिशेष				426.02	381.26	174.65	
उधारी				3,392,498.77	3,421,356.14	3,451,636.41	
अन्य वित्तीय परिसम्पतियां				2,503,899.65	2,294,150.65	2,114,441.70	
वित्तीय दायित्वां							
उधारी				4,000,000.	4,000,000.0	4,000,000.	

					00	0	00
अन्य वित्तीय दायित्व					2,935,207.98	2,661,608.97	2,417,528.79
(ii) वित्तीय जोखिम प्रबंधन लक्ष्य							
कम्पनी की कॉर्पोरेट ट्रेजरी (कोषागार) का कार्य जोखिमों की तीव्रता और आशंकाओं का विश्लेषण कर कम्पनी की परिचालन संबंधी वित्तीय जोखिमों की निगरानी और प्रबंधन करना है। इन जोखिमों में बाजार संबंधी जोखिम, (मुद्रा संबंधी, ब्याज और अन्य मूल्य संबंधी जोखिम सहित), ऋण और तरलता संबंधी जोखिम शामिल हैं।							
(iii) बाजार जोखिम							
कम्पनी की गतिविधियां इसके लिए मुख्य रूप से ब्याज दर में बदलाव संबंधी वित्तीय जोखिम उत्पन्न करती हैं। (नीचे नोट v देखें)।							
बाजार जोखिमों का मापन संवेदी विश्लेषण के जरिए किया जाता है							
कम्पनी के बाजार संबंधी जोखिमों की आशंका या उन तरीकों में, कोई बदलाव नहीं रहा है जिनके द्वारा इन जोखिमों का मापन और प्रबंधन किया जाता है।							
(iv) ब्याज दर और जोखिम प्रबंधन							
कम्पनी के लिए ब्याज दर जोखिम की आशंका है, क्योंकि यह समय समय पर (ब्याज दर में उतार चढ़ाव से प्रभावित), स्टेट सेक्टर उधारीकर्ता (श्रेणी 'ए') के तहत निर्धारित ब्याज दर पर उधार लेती है। वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देनदारियों के लिए ब्याज दर से संबंधित जोखिम का विस्तृत ब्यौरा इस नोट के तरलता जोखिम प्रबंधन खंड में दिया गया है।							
(v) ब्याज दर संवेदनशीलता विश्लेषण							
नीचे दिए गए संवेदनशीलता विश्लेषण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में डेरिवेटिव और नॉन डेरिवेटिव उपायों के लिए ब्याज दर की प्रतिक्रिया के आधार पर किया गया है। फ्लोटिंग रेट देयताओं के लिए विश्लेषण यह मान कर किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया देनदारी राशि पूरे वर्ष के लिए बकाया थी। 50 आधार अंक की वृद्धि या कमी का उपयोग तब किया जाता है, जब ब्याज दर जोखिम, आंतरिक रूप से प्रमुख प्रबंधनकर्मियों और ब्याज दरों में संभावित तर्कसंगत बदलाव के प्रबंधन के आकलन को दर्शाता है।							
अन्य कार्को को स्थिर रख कर ब्याज में 50 आधार अंक के उतार चढ़ाव के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण नीचे दिया गया है							
विवरण					31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	
लाभ या हानि पर असर					-	-	
अन्य व्यापक आय पर असर					-	-	

<p>मौजूदा वर्ष के दौरान ब्याज दरों के प्रति कम्पनी की संवेदनशीलता में कमी मुख्य रूप से परिवर्तनीय दर ऋण उपायों में कमी के कारण और ब्याज दरों में बढ़ोतरी फ्लोटिंग दर वाले ऋणों को स्थायी दर वाले ऋण में बदलने से हुई है।</p>							
<p>(vi) मूल्य संबंधी अन्य जोखिम</p>							
<p>कम्पनी मूल्य संबंधी किसी जोखिम से नहीं जुड़ी है, क्योंकि यह कोई निवेश नहीं रखती।</p>							
<p>(vii) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन</p>							
<p>ऋण जोखिम वह जोखिम है, जब प्रतिपक्ष अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा न करे, जिससे कम्पनी को वित्तीय हानि होती हो। कम्पनी के समक्ष ऐसी आशंका बहुत ही सीमित है, क्योंकि उसे पीएफसी से राशि प्राप्त होती है, जैसा कि टिप्पणी 5 में उल्लिखित है। कम्पनी के पास व्यापार प्राप्तियां नहीं होतीं। ऋण प्राप्तियां इसकी होल्डिंग कम्पनी (पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन) के माध्यम से होती हैं। कम्पनी के बैंक अधिशेष प्रसिद्ध और विश्वसनीय बैंकिंग संस्था के पास है, जिसकी वजह से प्रतिपक्षों से जोखिम आशंका काफी सीमित है।</p>							
<p>(viii) तरलता जोखिम प्रबंधन</p>							
<p>कम्पनी तरलता या नकदी प्रवाह संबंधी जोखिमों का प्रबंधन पर्याप्त रिजर्व रख कर और अनुमानों तथा वास्तविक नकदी प्रवाह की निरंतर निगरानी कर और वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों की परिपक्वता प्रोफाइल की तुलना कर करती है।</p>							
<p>यह तालिका 31 मार्च , 2019 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।</p>							
विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह	
वित्तीय देनदारियां							
उधारी	6,934,532.98	-	-	-	6,934,532.98	6,934,532.98	
अन्य वित्तीय देनदारियां	29,094.05	29,094.05	-	-	-	29,094.05	
<p>यह तालिका 31 मार्च, 2018 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।</p>							
विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह	
वित्तीय देनदारियां							
उधारी	6,660,933.97	-	-	-	6,660,933.97	6,660,933.97	

अन्य वित्तीय देनदारियां	25,996.30	25,996.30	-	-	-	25,996.30	
-------------------------	-----------	-----------	---	---	---	-----------	--

यह तालिका 01 अप्रैल, 2017 को वित्तीय देयताओं की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह	
वित्तीय देनदारियां							
उधारी	6,416,872.54	-	-	-	6,416,872.54	6,416,872.54	
अन्य वित्तीय देनदारियां	27,646.74	27,646.74	-	-	-	27,646.74	

यह तालिका 31 मार्च, 2019 को वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह	
उधारी	3,392,498.77	-	-	-	3,392,498.77	3,392,498.77	
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,503,899.65	-	-	-	2,503,899.65	2,503,899.65	

यह तालिका 31 मार्च, 2018 को वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है। T

विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह	
उधारी	3,421,356.14	-	-	-	3,421,356.14	3,421,356.14	
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,294,150.65	-	-	-	2,294,150.65	2,294,150.65	

यह तालिका 01 अप्रैल, 2017 को वित्तीय परिसम्पत्तियों की अनुबंधगत परिपक्वता संबंधी ब्यौरा उपलब्ध कराती है।

विवरण	मौजूदा राशि	पहले वर्ष में देय	2-5 वर्ष में देय	5 वर्ष से अधिक समय में देय	देयता तिथि नहीं	कुल अनुबंधित नकदी प्रवाह	
-------	-------------	-------------------	------------------	----------------------------	-----------------	--------------------------	--

उधारी	3,451,636.41	-	-	-	3,451,636.41	3,451,636.41	
अन्य वित्तीय देनदारियां	2,114,441.70	-	-	-	2,114,441.70	2,114,441.70	
(ix) वित्तीय परिसम्पत्तियां और वित्तीय देयताओं का उचित मूल्य							
विवरण		31 मार्च 2019 को		31 मार्च 2018 को		01 अप्रैल 2017 को	
	उचित मूल्य अनुक्रम	मौजूदा राशि	उचित मूल्य	मौजूदा राशि	उचित मूल्य	मौजूदा राशि	उचित मूल्य
वित्तीय सम्पत्तियां							
नकदी और बैंक शेष	लेवल 2	426.02	426.02	381.26	381.26	174.65	174.65
उधारी	लेवल 2	3,392,498.77	3,392,498.77	3,421,356.14	3,421,356.14	3,451,636.41	3,451,636.41
अन्य वित्तीय देनदारियां	लेवल 2	2,503,899.65	2,503,899.65	2,294,150.65	2,294,150.65	2,114,441.70	2,114,441.70
वित्तीय दायित्व							
उधारी	लेवल 2	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00
अन्य वित्तीय देनदारियां	लेवल 3	2,935,207.98	2,935,207.98	2,661,608.97	2,661,608.97	2,417,528.79	2,417,528.79
<p>वित्तीय विवरणों में मौजूदा राशि के लगभग वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य दर्शाया गया है। वर्ष में लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बीच कोई हस्तांतरण नहीं है। वित्तीय परिसम्पत्तियों और वित्तीय देनदारियों की मौजूदा राशि का मापन इंड एएस में परिशोधित लागत पर किया गया है। यह मापन उनके उचित मूल्य के लगभग निकट है, क्योंकि कम्पनी यह नहीं मानती कि मौजूदा मूल्य और संभावित प्राप्ति या तय मूल्य में महत्वपूर्ण अंतर होगा।</p>							

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड				
(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओआई146953)				
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अंश तय करने वाली टिप्पणियां				
21. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन का विवरण				
21.1. संबंधित पक्षों के नाम और संबंध का विवरण:				
क्र म सं	पार्टी का नाम और संबंध	कार्य का स्वरूप		
1	पॉवर फाइनेंस कापेरिशन	होल्डिंग कम्पनी		
2	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
3	छत्तीसगढ़ सरगुजा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
4	कोस्टल कर्नाटक पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
5	ओडिसा इंटीग्रेटेड पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
6	कोस्टल तमिलनाडु पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
7	घोसरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
8	तात्या आंध्रा मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
9	साखीगोपाल पावर इंटीग्रेटेड कम्पनी लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
10	देवघर मेगा पॉवर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
11	ओडिसा इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
12	चेय्यूर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
13	देवघर इन्फ्रा लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
14	बिहार इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
15	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
16	झारखंड इन्फ्रापावर लिमिटेड	सहयोगी कम्पनी		
17	बल्लभगढ़-जीएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		

18	टांडा ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
19	महिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
20	दक्षिण मध्य पूर्व दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
21	शौगटोंग कर्चम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
22	बीजावर - विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
23	वापी -II नार्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
24	फतेहगढ़ -II ट्रांसको लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
25	बीकानेर-खेतड़ी ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
26	भुज -II ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
27	लकड़िया वडोदरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	सामान्य नियंत्रण के तहत उद्यम		
कम्पनी के मुख्य प्रबंधनकर्मी होल्डिंग कम्पनी पीएफसी के कर्मचारी हैं और अंशकालिक आधार पर नियुक्त हैं। The Key Management Personnel of the Company are employee of the Holding Company (PFC) and deployed on Part Time basis.				
क्र. म. सं.	नाम	पद	नियुक्ति की तारीख	Date of Cessation
1	श्री सी पी रविंद्र	अध्यक्ष	23.10.2017	31.07.2018
2	श्री जी एस पात्रा	अध्यक्ष	09.08.2018	Continuing
3	श्री आलोक सूद	निदेशक	22.12.2008	Continuing
4	श्री एच के दास	निदेशक	23.11.2017	24.04.2018
5	श्री पी सी हेम्ब्रम	निदेशक	24.04.2018	Continuing

	21.2. लेनदेन का ब्यौरा :			
	21.2.1. Transactions with Related Party:			
				(₹ सौ में)
	विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
	<u>होल्डिंग कम्पनी पॉवर फाइनेंस कापरेरेशन</u>			
	पीएफसी से अप्रयुक्त भाग पर प्राप्ति योग्य ब्याज		211,867.58	185,630.8 1
	ऋण प्राप्त (निवल)		3,392,498. 77	3,423,429. 17
	21.2.2. संबंधित पक्ष के साथ बकाया शेष:			
				(₹ सौ में)
	विवरण		As at March 31, 2018	01 अप्रैल 2017 को
	<u>होल्डिंग कम्पनी पॉवर फाइनेंस कापरेरेशन</u>			
	भुगतान योग्य ब्याज/संचित लेकिन उधारी पर बकाया नहीं 'Interest payable/accrued but not due on borrowings	161,283.26	142,893.11	-
	दिए गए ऋण	3,392,498.77	3,421,356. 14	3,451,636. 41
	प्राप्ति योग्य ब्याज/संचित लेकिन बकाया नहीं	2,503,899.65	2,294,150. 65	2,114,441. 70
	प्रमुख प्रबंधकर्मियों का मुआवज़ा :			
	कम्पनी में कर्मचारी होल्डिंग कम्पनी (पीएफसी) के साथ समझौते के अनुरूप अनुबंध शर्तों पर हैं। निर्देशकों को किसी सिटिंग फीस का भुगतान नहीं किया गया है।			

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड						
(सीआईएन:यू40102डीएन2006जीओ आई146953)						
31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का अंश तय करने वाली टिप्पणियां						
<p>22 महाराष्ट्र सरकार के दिनांक 5 मार्च 2019 के निर्णय और दिनांक 27 मार्च 2019 के एमओपी के कार्यालय जापन के अनुसार वह परियोजना, जिसके लिए कम्पनी का गठन किया गया था, बंद किया जाना है, इसलिए कम्पनी के निदेशक मंडल ने 20.05.2019 की अपनी बैठक में कम्पनी को बंद करने की कार्यवाही शुरू करने का फैसला किया, जो होल्डिंग कम्पनी (पीएफसी) और बिजली मंत्रालय के अनुमोदनों पर आधारित होगा। इसे देखते हुए लेखांकन की जारी प्रक्रिया व्यवहार्य नहीं हो सकती, लेकिन पीएफसी और एमओपी से लम्बित अनुमोदनों के कारण जारी कार्यों की जगह खातों को बंद करने की आवश्यक समायोजन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है। उपरोक्त अनुमोदन मिलने पर खातों में आवश्यक समायोजन किया जाएगा और परियोजना पर हुआ व्यय, जो नोट-4 (सीडब्ल्यूआईपी) में दर्शाया गया है, खरीदारों को अग्रिम प्रतिबद्धता और प्रोदभूत ब्याज के भुगतान में समायोजित कर लिया जाएगा, इस प्रकार कम्पनी की इक्विटी/अन्य इक्विटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीएफसी के साथ अग्रिम प्रतिबद्धता शेष (प्राप्त योग्य ब्याज सहित) का भुगतान खरीदारों को उनकी अग्रिम प्रतिबद्धता के देयता शेष के रूप में (प्रोदभूत ब्याज सहित) कर दिया जाएगा।</p>						
<p>23. बिजली मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कम्पनी ने पॉवर प्रोक्योरिंग युटिलिटीज (खरीदारों) से 40,00,000 सौ रुपये (पिछले वर्ष 40,00,000 सौ रुपये) का पूरा प्रतिबद्धता अग्रिम प्राप्त कर लिया था। यह राशि संबंधित खरीदारों और सफल नीलामीकर्ता के बीच बिजली खरीद समझौते के द्वारा परियोजना के पूरा हो जाने पर बिजली के निर्दिष्ट कोटे के आवंटन में योगदान के लिए प्राप्त की गई। यह अग्रिम प्रतिबद्धता तुलनपत्रक में अन्य गैर-मौजूदा देयताओं के तहत उधारी के रूप में दर्शायी गई है। कम्पनी पर प्राप्त प्रतिबद्धता अग्रिम पर किसी ब्याज के भुगतान का दायित्व नहीं है। हालांकि, कम्पनी/होल्डिंग कम्पनी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार इन प्रतिबद्धता अग्रिमों पर ब्याज उपलब्ध कराया गया है।</p>						
<p>24. पीएफसी लिमिटेड के साथ वित्तीय समझौते के अनुरूप खरीदारों से प्राप्त 40,00,000 सौ रुपये (पिछले वर्ष 40,00,000 सौ रुपये) का कुल प्रतिबद्धता अग्रिम होल्डिंग कम्पनी के पास था, कम्पनी की ओर से परियोजना के लिए हुए व्यय के भुगतान और प्रतिबद्धता अग्रिम के शेष अप्रयुक्त भाग के निवेश/प्रतिधारिता के लिए। पीएफसी के पास प्रतिबद्धता अग्रिम की यह शेष राशि तुलनपत्रक में गैर-मौजूदा परिसम्पत्ति के तहत वित्तीय परिसम्पत्ति के रूप में ऋण के तौर पर और इस पर बकाया ब्याज गैर-मौजूदा परिसम्पत्ति के तहत अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियों के रूप में दर्शाया गया है।</p>						
<p>25. कम्पनी पीएफसी लिमिटेड को कम्पनी की ओर से किए गए व्यय के लिए और खरीदारों को परियोजना के लिए प्रयुक्त और अप्रयुक्त कोष की अग्रिम प्रतिबद्धताओं के लिए होल्डिंग कम्पनी की नीति के अनुसार तय दरों पर ब्याज का भुगतान करती है। कोष की प्रयुक्त राशि पर प्रभारित ब्याज दर पीएफसी लिमिटेड में खरीदारों के लिए परियोजना ऋण/योजना (उत्पादन) के लिए स्टेट सेक्टर उधारीकर्ताओं (श्रेणी ए) के तहत, समय समय पर निर्धारित होने वाली दर के अनुसार व्यवहार्य है। तथा कोष की अप्रयुक्त राशि पर प्राप्त/प्रदत्त ब्याज पीएफसी लिमिटेड के मासिक औसत लघु अवधि जमा दर पर है। अप्रयुक्त भाग पर ब्याज पीएफसी लिमिटेड से प्राप्त योग्य है और खरीदारों को इसी का भुगतान किया जाना है। कुल ब्याज व्यय 3,01,955.56 सौ रुपये (पिछले वर्ष 2,69,320.23 सौ रुपये) का है। इसमें अप्रयुक्त भाग पर 2,11,867.58 सौ (पिछले वर्ष 1,85,630.81 सौ रुपये) का ब्याज और प्रयुक्त भाग पर 90,087.98 सौ रुपये (पिछले वर्ष 83,689.42 सौ रुपये) का ब्याज शामिल है। प्रयुक्त भाग का ब्याज पूंजी में लगा दिया गया है।</p>						
<p>26. कम्पनी के सभी कार्य पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल) द्वारा किए जाते हैं।</p>						
<p>27. अन्य प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाए गए व्यय के इन कम्पनियों के आकलन के अनुसार पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा व्यय का आवंटन विशेष प्रयोजन माध्यमों को किया गया है। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल द्वारा किए गए ऐसे व्यय के संदर्भ में बिल पीएफसीएल/पीएफसीसीएल के नाम में हैं और उनकी प्रतियां कम्पनी के पास उपलब्ध हैं। पीएफसीएल/पीएफसीसीएल स्रोत पर कर कटौती और माल और सेवा कर के संबंध में इन व्यय पर लागू होने वाले सभी वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है।</p>						

28. वर्ष के दौरान (नोट 17) हुए अन्य व्यय पूंजी में लगा दिए गए हैं और जारी पूंजीगत कार्य में दिखाया गया है। .						
29. कर्मचारी लाभ योजनाएं						
चूंकि कम्पनी में कोई कर्मचारी नहीं है इसलिए इंड एस 19 के अनुसार इस दायित्व का सवाल नहीं उठता						
30. प्रतिबद्धताएं:						
विवरण				31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
(क) पूंजी खाते पर क्रियान्वित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और (निवल अग्रिम) के लिए उपलब्ध नहीं :				-	-	-
(ख) अन्य प्रतिबद्धताएं				-	-	-
31. आपात देयताएं और आपात परिसम्पत्तियां						
विवरण				31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
कम्पनी की आपात देयताएं और कम्पनी के खिलाफ दावे कम्पनी द्वारा नहीं दर्शाए गए हैं, क्योंकि ये उक्त अवधि के लिए प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं।				-	-	-
कम्पनी के लिए आपात परिसम्पत्तियां और आपात लाभ की संभावना नहीं है				-	-	-
32. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमई एक्ट) के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के बकायों का विवरण, कम्पनी से प्राप्त सूचना के आधार पर						
विवरण				31 मार्च 2019 को	31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल 2017 को
क) मूल राशि और आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किए जाने पर लेखा अवधि के अंत में बकाया ब्याज				-	-	-
ख) एमएसएमई अधिनियम 2006 के खंड 16 की शर्तों के अनुरूप खरीदार द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि, लेखा अवधि के दौरान निर्धारित तिथि से इतर आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ				-	-	-
ग) ब्याज की बकाया और विलम्ब की अवधि के लिए भुगतान की जाने वाली राशि, (जिसका भुगतान हो चुका है लेकिन अवधि के दौरान निर्धारित तिथि पर नहीं हुआ है)				-	-	-

लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़े बगैर।						
घ) ब्याज की प्रोदभूत और लेखावधि के अंत में भुगतान नहीं की गई राशि						
ड) आगे बकाया रह गए और बाद के वर्षों में भी उस तिथि तक भुगतान किए जाने वाले बकाया ब्याज की राशि जब तक कि यह बकाया ब्याज लघु उद्यम को, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के खंड 23 के तहत घटाए जाने वाले व्यय पर रोक के उद्देश्य से, चुका नहीं दिया जाता						
33. लेखाकारों का पारिश्रमिक						(₹ सौ में)
विवरण						31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष
वैधानिक लेखा परीक्षण						737.50
						737.50
34. खंड संबंधी जानकारी						
कम्पनी का निदेशक मंडल, जो मुख्य परिचालन निर्णयकर्ता (सीओडीएम) माना गया है, कम्पनी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, कम्पनी के विभिन्न प्रदर्शन संकेतकों के विश्लेषण के आधार पर संसाधनों का आवंटन करता है। कम्पनी का मुख्य लक्ष्य बिजली उत्पादन है और यह फिलहाल बिजली संयंत्र स्थापित करने में लगी है और कम्पनी की समस्त गतिविधियां एकल इकाई होने के कारण इसके इर्दगिर्द हैं। इसके अलावा कोई अन्य भौगोलिक खंड नहीं हैं क्योंकि कम्पनी की समस्त गतिविधियां भारत में हैं। इसीलिए इंड एस 108 'परिचालन खंडों' की आवश्यकता अनुसार कम्पनी के लिए अलग रिपोर्ट करने योग्य कोई खंड नहीं है।						
35. अन्य स्पष्टीकरण						
(क) विदेशी मुद्रा में व्यय - शून्य						
(ख) विदेशी मुद्रा में आय - शून्य						
36. इंड एस में स्थानांतरण की तिथि पर कम्पनी ने पूर्व के जीएपी के अनुरूप सीडब्ल्यूआईपी के मौजूदा मूल्य पर इंड एस 101 के अनुसार डीमंड लागत के रूप में विचार किया है।						
37. कम्पनी ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष तक के लिए अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं, पूर्व में व्यवहार्य जीएपी की आवश्यकता के अनुरूप, जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के खंड 133, कम्पनी लेखांकन नियम 2014 के साथ पठित, के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (एस) शामिल हैं। वित्तीय विवरण में दर्शाई गई पूर्व अवधि उसी लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप दी गई है, जिनका उपयोग कम्पनी का पहला इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने में किया गया है।						
38. पहली बार इंड एस अपनाने संबंधी मिलान : -						
38.1 31 मार्च, 2018 और 01 अप्रैल 2017 को तुलनपत्रक में इंड एस अपनाने संबंधी						

प्रभाव : -						
						(₹ सौ में)
विवरण	01 अप्रैल 2017			31 मार्च 2018		
	पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एस	पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एस
परिसम्पत्तियां						
गैर चालू परिसम्पत्तियां						
(क) जारी पूंजीगत कार्य	883,472.54	-	883,472.54	970,540.74	-	970,540.74
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			-			-
(i) उधारी	3,451,636.41	-	3,451,636.41	3,421,356.14	-	3,421,356.14
(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	2,114,441.70	-	2,114,441.70	2,294,150.65	-	2,294,150.65
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियां	6,449,550.65	-	6,449,550.65	6,686,047.53	-	6,686,047.53
चालू परिसम्पत्तियां						
(क) वित्तीय परिसम्पत्तियां						
(i) नकदी और नकदी समतुल्य	174.65	-	174.65	381.26	-	381.26
(ख) अन्य चालू परिसम्पत्तियां	228.35	-	228.35	5,945.03	-	5,945.03
कुल चालू परिसम्पत्तियां	403.00	-	403.00	6,326.29	-	6,326.29
चालू परिसम्पत्तियां	6,449,953.65	-	6,449,953.65	6,692,373.82	-	6,692,373.82
इक्विटी और देयताएं						
इक्विटी						
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00

(ख) अन्य इक्विटी	434.37	-	434.37	441.17	-	441.17
कुल इक्विटी	5,434.37	-	5,434.37	5,441.17	-	5,441.17
गैर चालू देयताएं						
(क) वित्तीय देनदारियां						
(i) उधारी	4,000,000.00	-	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
(ii) अन्य वित्तीय देनदारियां	2,416,872.54	-	2,416,872.54	2,660,933.97	-	2,660,933.97
गैर चालू वित्तीय देनदारियां	6,416,872.54	-	6,416,872.54	6,660,933.97	-	6,660,933.97
चालू देनदारियां						
(क) वित्तीय देनदारियां						
(i) अन्य वित्तीय देनदारियां	656.25	-	656.25	675.00	-	675.00
(ख) अन्य वित्तीय देनदारियां	26,990.49	-	26,990.49	25,321.30	-	25,321.30
(ग) चालू कर वित्तीय देनदारियां (निवल)	-	-	-	2.38	-	2.38
कुल चालू देनदारियां	27,646.74	-	27,646.74	25,998.68	-	25,998.68
कुल इक्विटी और देनदारियां	6,449,953.65	-	6,449,953.65	6,692,373.82	-	6,692,373.82
38.2 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ हानि विवरण में इंड एस अपनाने संबंधी प्रभाव: -						
				(₹ सौ में)		
विवरण		पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एस		
परिचालन से आय		-	-	-		

अन्य आय		9.18	-	9.18		
कुल आय (I)		9.18	-	9.18		
व्यय						
अन्य व्यय		-	-	-		
कुल व्यय ((II))		-	-	-		
कर पूर्व (I-II) लाभ/(हानि)		9.18	-	9.18		
कर व्यय :						
(1) चालू कर		2.38	-	2.38		
(2) बकाया कर		-	-	-		
कुल कर व्यय		2.38	-	2.38		
अवधि के लिए लाभ/(हानि)		6.80	-	6.80		
38.3 31 मार्च 2018 और 01 अप्रैल 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अन्य इक्विटी पर इंड एस अपनाने संबंधी प्रभाव:						
			(₹ सौ में)			
विवरण		31 मार्च 2018 को	01 अप्रैल, 2017 को			
आईजीएएपी के तहत रिपोर्टिड अन्य इक्विटी		(27,523)	434.37			
अन्य समायोजन						
इक्विटी पर कुल प्रभाव		-	-			
इंड एस के तहत रिपोर्टिड अन्य इक्विटी		(27,523)	434.37			
38.4 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण पर इंड एस अपनाने संबंधी प्रभाव						

					(₹ सौ में)	
विवरण			पिछला जीएएपी	समायोजन	इंड एस	
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह			93,686.45	-	93,686.45	
निवेश गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह			(93,641.69)	-	(93,641.69)	
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी अंतरप्रवाह			-	-	-	
वर्ष के दौरान नकदी और नकदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/कमी			44.76	-	44.76	
जोड़ : वित्तीय वर्ष के आरंभ में नकदी और नकदी समतुल्य			381.26	-	381.26	
अवधि के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य			426.02	-	426.02	
39. वित्तीय विवरणों का अनुमोदन						
31 मार्च, 2019 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय विवरण निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए और 20.05.2019 को जारी करने के लिए अधिकृत किए गए						
कृते निदेशक मंडल एवं उनकी ओर से						
पीसी हेम्ब्रम	आलोक सूद	जी एस पात्रा				
निदेशक	निदेशक	अध्यक्ष				
DIN:02750881	DIN:02394376	DIN:05103633				
इसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार						
कृते						
विजय मुकेश एंड कम्पनी						
(सनदी लेखाकार)						

कम्पनी पंजीकरण सं: 014554N						
(सुनील जैन)						
साझेदार						
सदस्यता सं : 094673						
स्थान : नई दिल्ली						
दिनांक :						